न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–73 / 2023(जीसीएमएस नम्बर 2023 / 243)

1. श्रीमति शांति देवी पत्नि सियाराम जाति मीना निवारी अलीयापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राज0।

––अपीलान्ट

बनाम

1. उप जिला कलेक्टर महोदय, मण्डावर जिला दौसा।
2. तहसीलदार, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
3. पटवारी हल्का लोटवाडा, तह0 बैजूपाडा जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री सी.एल.मीना एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट्स की ओर से**

दिनांकः– 18.09.2024

निर्णय

अपीलार्थीया द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि दिनांक 19.01.2023 को राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राजस्व–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10:08.2016 की अनुपालना में मौका निरीक्षण रिपोर्ट तहसीलदार मंडावर, आई.एल.आर. बैजूपाडा, पटवारी हल्का लोटवाडा तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम नांगल तहसील बैजूपाडा स्थित आराजी ख0नं0 100 / 0.25 में से 0.02 है0, 118 / 0.73 में से 0.02 है0, 120 / 0.49 में से 0.02 है0, 121 / 1.00 में से 0.04 है0 कुल 0.10 हैक्टयर भूमि मे से सार्वजनिक प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक रूप से बना हुआ है एवं सार्वजनिक रास्ते के काम में आ रहा है किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नहीं है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) ने तहसीलदार मण्डावर की अनुशंषा के आधार पर दिनांक 19.01.2023 को खिलाफ मनशाये कानून व वाकेआत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 20.07.2023 को गांव में लोगों द्वारा चर्चा करने पर प्रकरण की जानकारी हुयी है। इस पर अपीलान्ट ने अधिनरथ न्यायालय में नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया उसकी नकल दिनांक 24.07.2023 को मिलने पर पहली बार जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी दिनांक 20.07.2023 को होने के कारण अपील अन्दर मियाद पेश है। उस देरी को माफ करते हुये अपील को दिनांक 24.07.2023 से अन्दर मियाद में माने जाने की इजाजत प्रदान करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट खाता संख्या नया 329 पुराना 322 के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.02 है0 बारानी 1, खसरा नम्बर 118 रकबा 0. 73 है0 बारानी 1, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.25 है0 बारानी एक, खसरा नम्बर 129

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रकबा 0.30 है0 बारानी 1, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.31 है0 बारानी, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.40 है0 बारानी 1, कुल किता 6 कुल रकबा 2.01 है0 स्थित वाके ग्राम नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा का काबिज काश्तकार खातेदार है। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त आराजी अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकारान है, को कोई नोटिस व सूचना जारी नही की और ना ही तहसीलदार मण्डावर द्वारा मौका निरीक्षण करते समय अपीलार्थी काश्तकारों खातेदारान को कोई सूचना दी गई बल्कि समस्त कार्यवाही अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में बाला–बाला की गई है जो कबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 118 में होकर मौके पर कभी भी कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं रहा है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तथाकथित रास्ता खसरा नम्बर 118 के किन स्थान पर स्थित है, इस बाबत न तो कोई मौका निरीक्षण रिपोर्ट ही उपलब्ध है और न ही कोई नक्शा पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर किसी भी व्यक्ति के बयान नहीं है न ही किसी व्यक्ति द्वारा तथाकथित रास्ता दर्ज करवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 118 में किसी भी स्थान पर होकर रास्ता कायम किया जा सकता है। ऐसे में यदि उक्त निर्णय की आड में विपक्षीगण संख्या 2 व 3 ने अपीलान्ट के उक्त खेत के बीच में होकर अथवा लम्बोतर स्थिति में रास्ते के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया तो अपीलान्ट की भूमि का उपयोग ही समाप्त हो जावेगा जिसके कारण अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होने आगे कथन किया है कि यदि अपीलार्थी की उक्त कब्जे काश्त की आराजी में रास्ता होता तो पटवारी हल्का द्वारा निश्चित रूप से जब रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान सन् 2016 में राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया था उसी समय यह रिपोर्ट की जा सकती थी लेकिन वास्तव में अपीलार्थी की आराजी में कोई रास्ता था ही नही। इसलिये रास्ते की रिपोर्ट सन् 2016 से लेकर अगस्त 2023 तक नही की गई लेकिन इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। उन्होने यह भी कथन किया है कि अचानक दिनांक 15.06.2022 को मौका निरीक्षण करना व रास्ते के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रस्ताव को प्रेषित करना अपने आप में संदेहास्पद है क्योंकि दिनांक 15.06.2022 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई और दिनांक 15.06.2022 को ही अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कोई साक्ष्य व सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2023 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट अंकित किया गया है जिला कलक्टर द्वारा जिले में सम्पादित रास्तों सम्बन्धी कार्यो की प्रगति की समीक्षा सप्ताहिक तौर पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिला कलक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि दिनांक 15.12.2016 के बाद उनके जिलें में रास्ते सम्बन्धी कोई समस्या लम्बित एवं शेष नही है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को पाबन्द किया गया कि वे रास्ते सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिसम्बर 2016 से पूर्व पूर्णकर ले लेकिन उक्त प्रकरण में सात साल बाद रास्ते सम्बन्धी कार्यवही की गई जो अपने आप में ही संदेहास्पद है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये

ही अपीलाधीन आदेष दिनांक 19.01.2023 पारित किया है जो विधि विधान एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2023 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार भूमि विवादगस्त का दिनांक 15.06.2022 को मौका पर्चा बनाया गया है एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट तहसीलदार मंडावर, आई.एल.आर. बैजूपाडा, पटवारी हल्का लोटवाडा तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम नांगल तहसील बैजूपाडा स्थित आराजी ख0नं0 100/0.25 में से 0.02 है0, 118/0.73 में से 0.02 है0, 120/0.49 में से 0.02 है0, 121/1.00 में से 0.04 है0 कुल रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.10 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है। किन्तु सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि का राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार मंडावर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर स्थाई रूप से चालू है। जिसके संदर्भ में उक्त रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाये गये हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील/प्रार्थना पत्रादि प्रस्तुती प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि भूमि विवादग्रस्त का दिनांक 15.06.2022 को मौका पर्चा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा बनाया गया है जिसमें उन्होने स्पष्ट रूप से अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में खातेदारी में अंकित है। अपीलान्ट खाता संख्या नया 329 पुराना 322 के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.02 है0 बारानी 1, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.73 है0 बारानी 1, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.25 है0 बारानी एक, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.30 है0 बारानी 1, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.31 है0 बारानी, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.40 है0 बारानी 1, कुल किता 6 कुल रकबा 2.01 है0 स्थित वाके ग्राम नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा का काबिज काश्तकार खातेदार है। उपरोक्त आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस व सूचना जारी नही की और ना ही तहसीलदार मण्डावर द्वारा मौका निरीक्षण करते समय अपीलार्थी काश्तकारों खातेदारान को कोई सूचना दी गई बल्कि समस्त कार्यवाही अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पूर्ण पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.01.2023 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसे में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2023 को अपीलार्थीया की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति संभागीय आयुक्त,
जयपुर।